

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (सेवानिवृत्त) अलेसे-1/822

दिनांक:- 25.02.2020

आदेश संख्या 20/2019-20

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.04 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क. सं. | लिंग नम्बर | मेरिट/ बैच संख्या | नाम सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-I) (सर्वश्री) | जन्मतिथि | सेवानिवृत्ति तिथि | विशेष विवरण                                                |
|--------|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1      | 2          | 3                 | 4                                         | 5        | 6                 | 7                                                          |
| 1      | 4742       | 498/86            | प्रहलाद सिंह शेखावत                       | 20.06.60 | 30.06.2020        | अभियोजन स्वीकृति जारी                                      |
| 2      | 1867       | 598/83            | नन्द लाल व्यास                            | 02.07.60 | 31.07.2020        | 16 सीसीए में जांच एवं अन्य प्रकरण                          |
| 3      | 3978       | 370/81            | ओमप्रकाश गुप्ता                           | 21.07.60 | 31.07.2020        | अभियोजन स्वीकृति जारी एवं सीसीए नियम 16 में जांच विचाराधीन |
| 4      | 3692       | 536/86            | बजरंग बली बनवेरू                          | 01.09.60 | 31.08.2020        | एसीबी प्रकरण लम्बित                                        |

श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, श्री ओमप्रकाश गुप्ता एवं श्री बजरंग बली बनवेरू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान में कार्यवाही विचाराधीन है। श्री नन्द लाल व्यास के विरुद्ध सीसीए नियम 16 एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट में प्रकरण विचाराधीन है। उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I में से, राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में, आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक:- 25.02.2020

क्रमांक:- एफ.2 (क) (सेवानिवृत्त) अलेसे-1/822

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय .....
4. कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष ..... को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/ प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री ..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय .....
8. अलेसे-II/III/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/ गार्ड फाइल।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2742309, Tel.- 2744134

E:\2019\DTA sanjay\Retirement\Orders.doc